344/DAM/DS/16
01.07.2016

DD (AP)
1/7/16

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(12)/कृषि–2/2000 जयपुर, दिनांक– 1 JUL 2016

आदेश

M.O (AP)
01/07/16

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 में विधमान प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को भूखण्ड आवंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो पर किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटन हेतु राज्य सरकार निम्न शर्तों का निर्धारण करती है–

1. सर्वप्रथम जिन मंडी समितियों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों हेतु भूमि चिन्हित नहीं है अथवा जिनके द्वारा परिवर्तन चाहा जा रहा है उन समस्त मंडी प्रांगणों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों हेतु भूमि को मंडी समिति के नक्शे में चिन्हांकित कराकर मंडी समिति के सुझावों अनुसार नगर नियोजक शाखा द्वारा भूखण्डों की प्लानिंग की जायेगी।
2. प्लानिंग के अनुसार इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं प्रमुखतः सड़कों का निर्माण कराया जायेगा।
3. कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु एक अंतिम तिथि सुनिश्चित करते हुये, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेगें जिसकी सूचना का प्रकाशन अखबार में कराया जायेगा।
4. आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदक को परियोजना लागत का 1 प्रतिशत अथवा 10.00 लाख रूपये (जो भी कम हो) जमा कराने होंगे। उक्त राशि आवंटन की दशा में जमीन की कीमत में समायोजित कर दी जावेगी। इस राशि के अभाव में आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। असफल आवेदकों की यह राशि आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात दो माह के अन्दर कृषि विपणन निदेशालय से स्वीकृति जारी करने के पश्चात लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कृषि विपणन निदेशालय द्वारा फार्म की कीमत व परियोजना लागत की एक प्रतिशत राशि संबंधित खाते में जमा कराने हेतु कृषि विपणन बोर्ड में भिजवायी जावेगी।
5. कृषि विपणन बोर्ड में उक्त राशि को जमा/व्यय करने हेतु एक पृथक बैंक खाते का संधारण किया जायेगा।
6. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कराये जाने होगें:–
    1. परियोजना रिपोर्ट।
    2. बैंक द्वारा ऋण दिये जाने का सहमति पत्र।
    3. फर्म के स्वामित्व से सबंधी दस्तावेज।